न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 66/2011/अपील

मालीदेवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति अहीर निवासी लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.07.2011 अनुवानी सरकार बनाम मालीदेवी मु0नं0 34/2011 द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर

वकील अपीलांट श्री विनोद सरोज

निर्णय **दिनांकः—12.12.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का दिवराला ने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि राजस्व ग्राम लिसाडिया के भूमि खसरा नं. 1505 कुल रकबा 0.62 है0 किस्म बंजड में से 0.04 है. पर मूंगफली की काश्त कर व पीलर गाड कर तार लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है। प्रार्थीनी द्वारा उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किये जाने एवं प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 1510 व 1506 को जरिये इकरारनामा दिनांक 24.04.09 को पप्पूराम पुत्र मदन लाल सैनी जाति माली निवासी लिसाडिया को विक्रय कर दिया है। इस प्रकार उक्त भूमि खसरा नं. 1505 बंजड़ रकबा 0.04 है. के समीप रास्ता छोड़कर प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि का बेचान दिनांक 24.04.09 को किया जाकर कब्जा क्रेता को संभला दिया है, उसी ने उक्त क्रयशुदा भूमि पर काश्त कर रखी है। प्रार्थीया की अन्य कोई खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1505 बंजड़ सरकारी भूमि के आस पास नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.11 को आदेश दिये गये कि भूमि खसरा नं. 1505 रकबा 0.04 है0 राजस्व ग्राम लिसाडिया से अतिक्रमी श्रीमती माली देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति अहीर निवासी लिसाडिया वर्तमान सरपंच को मौके से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं तथा शास्ति लगान 0.08 का पचास गुना 4रू. से अतिक्रमी को आरोपित किया जाता है आदेश की पालना में भू.अ.नि. एवं पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमी को बेदखल एवं फसल नीलामी हेतु लिखा जाकर टी.आर.ए. से मांग कायमी कराई जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पप्पूराम सैनी को दिनांक 24.04.09 को जरिये इकरारनामा विक्रय कर दिये जाने तथा उक्त सरकारी भूमि के पास प्रार्थीया की कोई खातेदारी भूमि नहीं होने का कथन रिकार्ड पर होने के बावजूद उक्त क्रेता के बयान नहीं लिये गये तथा न ही उक्त क्रेता को पक्षकार बनाया गया। क्रेता पप्पुराम द्वारा उक्त भूमि को क्रय किये जाने हेतु शपथ पत्र भी उक्त पत्रावली में प्रस्तुत कर रखा है। इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर अधीनस्थ न्यायायल ने गौर नहीं कर विधिक भूल कारित की है। प्रार्थीया का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है प्रार्थीया की भूमि उक्त सरकारी भूमि के पास

Scanned by CamScanner

थी, जिसे दिनांक 24.04.09 को विक्रय किया जा चुका है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 34/2011 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2011 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीया/अपीलांटान को नोटिस जारी किया गया। अपीलांटान स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई एवं जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में अपीलांटान द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस का कोई कथन अंकित नहीं है एवं प्रकरण में दिनांक 27.07.2011 को निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की साक्ष्य नहीं ली गई एवं अतिक्रमित स्थल के बारे में जांच तक नहीं की गई। अपीलांटान का विवादग्रस्त आराजियात पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को जारी नोटिस का अवलोकन करने पर उक्त नोटिस अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने हेतु जारी किया गया है, जबकि आदेशिका एवं चुनौतिग्रस्त निर्णय में पश्चातवर्ती अतिक्रमण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नोटिस का भलि–भांति अवलोकन किये बिना साइक्लो स्टाईल छपे–छपाये फॉर्मेट में जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.07.2011 के मुताबिक गैरसायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब आवेदन पेश करने हेतु अंकित किया हुआ है, जबकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2011 में अप्रार्थी/गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब का कोई अंकन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में ग्राम लिसाड़िया के खसरा नम्बर 1505 में से 0.04 है0 किस्म बंजड़ 2 की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अंकित किया है, परन्तु अतिक्रमण किस स्थान पर किया गया है इस सम्बंध में कोई निशानदेही अंकित नहीं की गई है एवं सीमाज्ञान किये बिना ही चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अतिक्रमण के सम्बंध में अपीलांटान को पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के सम्बंध में जारी नोटिस का अवलोकन किये बिना एवं मौके की स्थिति की जांच किए बिना ही एवं बिना सीमाज्ञान किए बिना ही बेदखल करने हेतु पारित किया गया निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मौके पर अतिक्रमण के सम्बंध में सीमाज्ञान किया जाये और सीमाज्ञान उपरान्त अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलांटान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए नियमानुसार पुनः विधिवत प्रकिया अपनाकर निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/12/19

(जय प्रकाश)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Prakash Narayan
Date: 2019.12.13 17:58:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: